

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 मई 2013

एफ. क्र. 15-01-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कॉलम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

अनुसूची

तहसील : पोहरी, जिला : शिवपुरी

क्र.	ग्राम का नाम एवं प. ह. नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
1	01. मूल ग्राम—टोडा 02. नवीन ग्राम—नहरगढ़ा, प.ह.नं. 65.	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित) जिला शिवपुरी
2	01. मूल ग्राम—झिरी 02. नवीन ग्राम—बलरामपुरा प.ह.नं. 72.	
3	01. मूल ग्राम—बिलौआ 02. नवीन ग्राम—मोहरा प.ह.नं. 62.	
4	01. मूल ग्राम—लोखरी 02. नवीन ग्राम—झलमारा प.ह.नं. 60.	

तहसील : खनियाधाना, जिला : शिवपुरी

5	01. मूल ग्राम—देवखो 02. नवीन ग्राम—मोटा 03. नवीन ग्राम—बड़ी टपरियन प.ह.नं. 74.	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित) जिला शिवपुरी
---	---	--

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 मई 2013

पृष्ठां. क्र. एफ. 15-01-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 15-01-2013-सात-6, दिनांक 3 मई 2013 का, अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 3rd May 2013

F. No. 15-01-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in coloume (2) of the schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

SCHEDULE

Tahsil : Pohri, District : Shivpuri

S. N.	Name of original village	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
1	01. Org. Vill.—Toda 02. New Vill.—Nahargada P. H. No. 65.	Superintendent of Land Records (Permanent), District : Shivpuri.
2	01. Org. Vill.—Jhiri 02. New Vill.—Balrmpura P. H. No. 72.	
3	01. Org. Vill.—Bilaua 02. New Vill.—Mohra P. H. No. 62.	
4	01. Org. Vill.—Lokhari 02. New Vill.—Jhalmara P. H. No. 60.	

Tahsil : Khaniyadhana, District : Shivpuri

5	01. Org. Vill.—Devkho 02. New Vill.—Mota 03. New Vill.—Badi Tapariyan P. H. No. 65.	Superintendent of Land Records (Permanent), District : Shivpuri.
---	--	---

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 मई 2013

क्र. एफ. 25-42-2012-दस-3.—मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ. 15-17-2010-दस-2, भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर, 2010 से सामान्य वन मंडल उमरिया के 53104.172 हे. क्षेत्र को बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया के बफर क्षेत्रों में शामिल किये जाने की अधिसूचना जारी होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 25-50-98-दस-3, भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 1988 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा सामान्य वनमंडल उमरिया के